भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2452

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

2452. श्री हरीभाई पटेलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा गुजरात में निवेश बढ़ाने तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के शुभारंभ के दौरान की गई परिकल्पना के अनुसार निर्बाध निवेशक संबंधी मंजूरी उपायों को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेशक अनुकूल नीति बनाई है जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं, 90 प्रतिशत से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। भारत, एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके, अवसंरचना का निर्माण करके तथा व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए लगातार खोल रहा है। इसके अलावा, भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल बने रहना सुनिश्चित करने के लिए सरकार, निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा शीर्ष उद्योग चैंबर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-वि मर्श करके तथा उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें बदलाव करती है।

(ख) : भारत सरकार, गुजरात सहित भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जारी स्कीमों के अलावा, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन और स्थापना में सहायता के लिए वि भिन्न कदम उठाए हैं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का

उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गवर्नमेंट टू बिजनेस और सिटिजन इंटरफेस को सरल, युक्तिसंगत, डिजिटलीकृत और गैर-अपराधीकृत बनाने के लिए पहलें की हैं। अब तक, 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है तथा 3800 से अधिक प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) : विदेशी निवेश सहायता पोर्टल को 5 अगस्त, 2022 से राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत कर दिया गया है तथा सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता वाले एफडीआई प्रस्ताव एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर दायर करने होते हैं। यह पोर्टल सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता वाले आवेदनों की सिंगल विंडो क्लियरेंस में सहायता करता है। विदेशी निवेशकों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सुविधाजनक बनाने के लिए हाल ही में एफडीआई आवेदन प्रपत्र को आसान बनाया गया है। सरकार एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के जरिए निवेशक संबंधी निर्बाध मंजूरी सुनिश्चित करने के प्रयास में सफल रही है। अनेक अनुमोदन प्रणालियों के एकीकरण, बड़ी संख्या में अनुमोदनों पर कार्यवाही करने तथा प्लेटफॉर्म में निरंतर बढ़ोतरी से इसके प्रभाव और भारत में व्यवसाय अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

*****